'स्कूल चलें हम' अभियान : शाला से बाहर बच्चों की स्थिति

वल्लभ डोंगरे

छाया : अभिजीत सरकार

वर्ष 1996 में प्रदेश के लगभग 29.19 लाख बच्चे शाला से बाहर थे। तब यह महसूस किया गया था कि इन बच्चों को शाला में लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर वर्ष 1996 में एक अभियान प्रारंभ किया गया था। 2000-01 में 13.28 लाख, 2002-03 में 7.74 लाख, 2003-04 में 6.25 लाख, 2004-05 में 4.28 लाख, 2005-06 में 4.73 लाख, 2006-07 में 2.96 लाख, 2007-08 में 1.81 लाख, 2008-09 में 1.64 लाख, 2009-10 में 1.32 लाख बच्चे शाला से बाहर थे। वर्ष 1996 से वर्ष 2000-2001 तक आते-आते शाला से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर 13.28 लाख रह गई थी, परंतु इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का शाला से बाहर होना किसी भी प्रदेश के लिए चिंता का कारण होना स्वाभाविक था। अतः वर्ष 2000-2001 में स्कूल चलें हम अभियान को पुनः चलाया गया। तब से यह अभियान अब प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है। इस अभियान के कारण शाला से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या अब शनैः-शनैः घटती जा रही है। वर्ष 2009-2010 में लगभग 1.32 लाख बच्चे शाला से बाहर थे, जिन्हें इस वर्ष स्कूल में लाने का लक्ष्य है। इस समय मध्यप्रदेश में लगभग 88276 बसाहटें, 97790 प्राथमिक शालाएं एवं 39227 मिडिल स्कूल हैं। प्राथमिक स्कूल में लगभग एक करोड़ सात लाख एवं मिडिल स्कूल में लगभग 48 लाख 61 हजार बच्चे दर्ज हैं।

शाला से बाहर बच्चों की वर्षवार स्थिति - (लाख में)

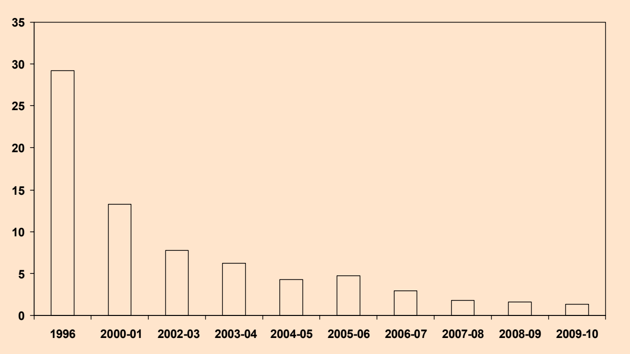

अब केवल 1.32 लाख बच्चे शाला से बाहर हैं, जिन्हें इस वर्ष स्कूल में लाने का लक्ष्य है।

छाया : प्रहलाद कुमार

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 पूरे प्रदेश में एकअप्रैल, 2010 से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों का नामांकन, उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का दायित्व राज्य शासन का है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्ट निर्देश हैं कि -

1. 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को शाला में प्रवेश कराना जरूरी है।
2. कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी बच्चे को न तो फेल किया जा सकेगा न ही किसी कक्षा में रोका जा सकेगा।
3. कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराना है और यह शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण होना जरूरी है।
4. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना जरूरी है।
5. जन्म प्रमाण-पत्र अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के अभाव में भी किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम को पूरी शिद्दत के साथ लागू करने के लिए मार्च 2010 से ही प्रदेश स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। विधानसभा के ग्रीष्मकालीन अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसके प्रत्येक पहलू पर विचार-विमर्श किया गया था एवं ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र की समाप्ति पर पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधियों को विधानसभा कक्ष में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी। उसके बाद प्रशासन अकादमी में पूरे प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था जिसमें अधिनियम के प्रत्येक हिस्से को लागू करने हेतु अलग-अलग धाराओं पर पृथक-पृथक कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजन आदि का भी भरपूर प्रयोग किया गया।

नए शिक्षा सत्र 2010 में एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल चलें हम अभियान का प्रथम चरण चलाया गया एवं इसका थ्वितीय चरण 23 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया गया।

स्कूल चलें हम अभियान का मुख्य उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के प्रति जन समुदाय को प्रेरित करना, 0 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों की पहचान कर 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाना तथा उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना है। अभियान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 0 से 14 वर्ष के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। अभियान के सर्वेक्षण प्रभारी का निर्धारण किया गया एवं प्रशिक्षण दिया गया। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जन शिक्षक एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा सभाओं का आयोजन किया गया एवं उसमें बच्चों को नियमित शाला भेजने हेतु अभिभावकों से शपथ-पत्र लिए गए।

विभिन्न गतिविधियों का संचालन

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के संदर्भ में स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई हैं-

1. 0 से 14 वर्ष के बच्चों के रिकार्ड को स्थानीय निकाय थ्वरा रखने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र थ्वरा बुकलेट उपलब्ध कराई गई।
2. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/बसाहट शिक्षा रजिस्टर वार्डवार जानकारी के आधार पर तैयार कराए गए। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों का उपयोग किया गया।
3. शाला से बाहर पाए गए बच्चों के नाम उम्र के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराए गए, जिसके अनुसार उनकी ब्रीजिंग (विशेष प्रशिक्षण) की व्यवस्था की जाएगी।
4. गत वर्ष परीक्षा में शामिल नहीं हुए बच्चों की सूची तैयार कराई गई एवं सर्वेक्षण दल के सदस्यों थ्वरा उनके अभिभावकों से सम्पर्क किया गया।
5. गत वर्ष चिन्हित शाला से बाहर बच्चों की अद्यतन जानकारी भी सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित की गई।
6. अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया।
7. आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से अभियान से जोड़ा गया एवं सर्वेक्षण के आधार पर उनके रिकार्ड दुरुस्त कराए गये।

8. निजी शालाओं को न्यूनतम 25 प्रतिशत कमजोर एवं गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर बच्चों को निजी शालाओं में प्रवेश दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अभियान को गति प्रदान करने हेतु Celebrity का उपयोग

स्कूल चलें हम अभियान को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की ख्यात नाम हस्तियों को प्रदेश में आमंत्रित किया गया एवं उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों को प्रेरित करने का काम पूरे प्रदेश में जोर-शोर से किया गया। मुख्यमंत्री एवं उनकी सरकार के मंत्रीगणों थरा प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर जाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रदेश में अब तक का चलाया गया यह अपनी किस्म का सबसे बड़ा अभियान है जिसका असर आने वाले समय में दृष्टिगोचर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का आगाज़ जिस शिद्दत से पूरे प्रदेश में किया गया है, उससे लगता है कि वे दिन दूर नहीं जब प्रदेश का हर बच्चा शाला में प्रवेश लेगा और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी गुणवत्तापूर्ण पूरी करेगा।

बिन्दु जिन पर अभियान के दौरान विशेष ध्यान दिया गया

- अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करना
- कार्यशालाओं का आयोजन करना
- सर्वेक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं यथा मतदान केन्द्र वार प्रभारियों की नियुक्तियाँ, सर्वेक्षण दलों का गठन, प्रशिक्षणों का आयोजन, सर्वेक्षण दलों को मतदाता सूचियाँ उपलब्धता, सुपरवाइजर की नियुक्ति, ऐसे ग्राम जहाँ बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति की समस्या अधिक है, के लिए विशेष टीमों का गठन करना
- समस्त स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पर उपस्थिति हेतु समय पर सूचना प्रदान करना
- जनप्रतिनिधियों से उनका भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त कर भ्रमण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करना
- शाला से बाहर एवं अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों की अधिक संख्या वाली बसाहटों की पहचान एवं उन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास
- ग्रामों एवं शहरों में दीवारों पर प्रेरक नारे, स्लोगन, चित्रांकन, शालाओं की सजावट
- स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, पालकगण एवं शिक्षकों तथा मैदानी कर्मचारियों की सहभागिता
- सर्वेक्षण के दौरान ही सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराने की कार्रवाई
- विशेष प्रशिक्षण वाले बच्चों की पहचान होकर उनके लिए बिजिंग की व्यवस्था कहाँ की जा रही है यह भी स्थानीय स्तर पर तय कर जानकारियों का संकलन कराना
- जगजगी समिति का गठन
- शाला के बच्चों को अपने आस-पास के बच्चों को अभिप्रेरित करना
- जिले में सभी वर्गों, जनप्रतिनिधियों, शासकीय अमले एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ने, जन प्रतिनिधियों के भ्रमण हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना
- वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु शासन के प्रवेश-पत्र का प्रदाय
- समयसीमा अनुसार सर्वेक्षण की जानकारी की पोर्टल पर प्रविष्टि
- शालाओं को साफ-सुथरा कर बच्चों के लिए आकर्षक ढंग से सजाने की तैयारी
- सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तक वितरण का व्यापक प्रचार-प्रचार
- वीडियो मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री की जनप्रतिनिधियों, जनसमुदाय को अपील जारी करना
- अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सभी बच्चों को शाला में लाने के लिये पालकों को प्रेरित करने हेतु जनप्रतिनिधियों से अपील
- जहाँ शाला से बाहर बच्चों की संख्या अधिक है ऐसे ग्रामों में प्रभारी मंत्री /विधायक/जनप्रतिनिधि/अधिकारियों की उपस्थिति में विशेष रैलियों/सभाओं का आयोजन
- कम नामांकन वाले ग्रामों/शहरी बस्तियों के लिए विशेष टीमों का गठन
- विशेष समस्या वाले जिलों के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
- प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों/कलेक्टरों को मुख्यमंत्री की ओर से पत्र

छाया : धीरेश मोर्य

- जिला एवं विकासखंड स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन
- नगरीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्देश जारी
- ग्रामीण क्षेत्र-ग्रामवार/बसाहट वार आवश्यक बुकलेट की संख्या की जानकारी घरों की संख्या के आधार पर तैयार करके रखना
- डिपो से प्रपत्र प्राप्त करना
- संबंधितों को निर्धारित दिनांक के पूर्व प्रशिक्षण की सूचना जारी करना
- मतदान केन्द्रवार प्रभारियों की नियुक्ति कराना
- मतदान सूचियां मतदान केन्द्र प्रभारियों को उपलब्ध कराना
- सुपरवाइजर की नियुक्ति
- प्रशिक्षण देना
- सामग्री भिजवाना
- अधिक अनुपस्थिति एवं कम नामांकन वाले ग्रामों के लिए टीमों का भ्रमण
- व्यापक प्रचार-प्रसार, जनप्रतिनिधियों से भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त करना
- शालाओं में सजावट, ग्राम में चित्रांकन, प्रचार-प्रसार

स्कूल चलें हम अभियान 2010-11 गतिविधि कैलेण्डर

दिनांक	स्कूल चलें हम अभियान
05.06.2010	● राज्य स्तर से निर्देश जारी करना
07.06.2010	● निर्देश मिशन की वेबसाइट www.ssa.mp.gov.in से डाउनलोड करना ● जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को स्कूल चलें हम अभियान के निर्देश प्रस्तुत करना
09.06.2010	● कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक स्कूल चलें हम की जिले की कार्ययोजना पर चर्चा -विकासखंड अधिकरियों को भी आमंत्रित किया जाएगा ● जन शिक्षक बैठक की सूचना जारी करना
10 से 15.06.2010	● Edusat के माध्यम से RSK से वीडियों कांफ्रेंसिंग ● ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करने हेतु बनाई गई कार्ययोजना पर चर्चा- ● ग्राम/वार्ड बसाहटों में रजिस्टर तैयार किए जाने हेतु ग्राम प्रभारी की जानकारी तैयार करना ● सही चिन्हांकन हो एवं कोई भी बच्चा न छूटे इस हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करना ● पोलिंग बूथवार शिक्षकों को क्षेत्र आवंटित करना ● पलायन करने वाले परिवारों एवं बच्चों की सूची तैयार करना ● वार्षिक परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित नहीं हैं उनकी सूची तैयार करना ● शाला से बाहर बच्चों एवं CWSN बच्चों की सूची तैयार करना
10.06.2010	● गत वर्ष कम नामांकन वाले प्रति विकासखंड 20-20 ग्रामों की सूची बनाना एवं उनमें निरीक्षण हेतु टीमों का गठन करना
12.06.2010	● मतदान केन्द्रवार प्रभारी के नियुक्ति आदेश जारी कराना ● विकासखण्ड स्तर पर सुपरवाइजर्स के आदेश जारी कराना
15.06.2010	● विकासखंड स्तर पर बैठक -जन शिक्षकों के साथ। ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। ● अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में सुपरवाइजर्स के प्रशिक्षण का आयोजन
18.06.2010	● शिक्षा रजिस्टर को तैयार करने के निर्देश मतदान केन्द्र प्रभारियों को बाँटे जाएँगे तथा उनका उन्मुखीकरण किया जाएगा।
23.06.2010	● जिले से ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार 15.07.2010 तक
25.06.2010	● मुख्यमंत्री से कलेक्टर, सी.ई.ओ., मंत्रियों को पत्र जारी कराना ● घर-घर सम्पर्क करते हुए ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना 05.07.2010 तक
30.06.2010	● मुख्यमंत्री का संदेश जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना जिला, विकासखंड, ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार
01.07.2010	● प्रवेशोत्सव एवं पाठ्यपुस्तक वितरण, पालक शिक्षक संघ बैठक ● सभी शाला से बाहर बच्चों को शाला में प्रवेशित कराने का सघन स्कूल चलें हम अभियान, घर-घर सम्पर्क कर ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना, सर्वेक्षण के दौरान वंचित वर्ग एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों को पत्र वितरण

05.07.2010 ● जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन 10.07.2010 तक

● शिक्षा सभा की सूचना जारी करना

07.07.2010 ● आँकड़ों के संकलन की ग्राम स्तरीय बैठक

08.07.2010 ● निम्नानुसार प्रपत्रों की जानकारी का संकलन

● ग्राम प्रभारी प्रपत्र- ग्राम शिक्षा रजिस्टर से भरी जाने वाली जानकारी

● शाला से बाहर बच्चों का प्रपत्र - ग्राम शिक्षा रजिस्टर से भरी जाने वाली जानकारी

● CWSN बच्चों का प्रपत्र

● वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले बच्चों का प्रपत्र की जानकारी तैयार करना- शाला स्तर से भरी जाने वाली जानकारी

● पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की जानकारी का प्रपत्र -शाला स्तर से भरी जाने वाली जानकारी

● बसाहट में अथवा निकट में उपलब्ध प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा सुविधा की उपलब्धता प्रपत्र -बसाहट स्तर से भरी जाने वाली जानकारी 11.07.2010 तक

14.07.2010 ● ग्राम सभा का आयोजन- शाला से बाहर बच्चे, वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थियों एवं शाला में दर्ज बच्चों के नाम पढ़कर सुनाए जाएँगे तथा समुदाय से इसके अतिरिक्त भी यदि बच्चे स्कूल न आ रहे हों तो उनकी जानकारी लेकर सूची में सम्मिलित किया जाएगा। सभी से संकल्प लिया जाएगा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजेंगे

15.07.2010 ● ग्राम एवं बसाहटवार जानकारी विकासखंड पर जमा करना

20 से 26.07.2010 ● डाटा एन्ट्री सीधे ऑन लाइन साफ्टवेअर में

26 से 30.07.2010 ● जानकारी का विश्लेषण एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना

छाया : संजय कुमार

कुछ सराहनीय प्रयास भी

इस समय मध्यप्रदेश में प्रत्येक गांव, टोले, मोहल्ले, कस्बे और बसाहटों में एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक शालायें एवं तीन किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शालाएँ संचालित की जा रही हैं। विशेष अध्ययन प्रणाली को अपनाते हुए मध्यप्रदेश शासन ने हजारों गांवों में ब्रिज कोर्स भी संचालित किये हैं। अनेक स्थानों पर आवासीय सुविधा के साथ ब्रिज कोर्स व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के शाला से बाहर रहे बच्चों की शैक्षिक सुविधा के लिये मानव विकास केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है। नन्हें-मुन्ने, शिशुओं की देखभाल में लगे बच्चों की शाला में निरंतरता बनाये रखने के लिये शिशु शिक्षा एवं देखभाल केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। माता-पिता के बाहर जाने की स्थिति में बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा घर योजना लागू की गई है। शाला भवनों के निर्माण, शालाओं में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण और पेयजल सुविधा तथा शौचालय की सुविधाओं के साथ शाला प्रांगण को बेहतर बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त और सुविधापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के गुरुजनों को अनेक प्रशिक्षणों के माध्यम से व्यावसायिक रूप से अपनी दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि के अवसर प्रदान कराये जा रहे हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दोपहर का भोजन और पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कक्षा एक से 8वीं तक अध्ययनरत प्रदेश की बेटियों को साइकिलें एवं शाला गणवेश भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इन प्रयासों के बावजूद आज भी प्रदेश के अनेक बच्चे शालाओं से बाहर हैं और शिक्षा से वंचित हैं। इनमें अधिकतर बालिकाएँ, शहरी क्षेत्रों में काम-काज में लगे बच्चे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं। समाज और प्रदेश की तरक्की के लिये इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाना आवश्यक है। यह अभियान हमारे भविष्य की समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की नींव साबित हो, इसलिए जरूरी है कि इस अभियान को मिशन भावना से चलाया जाए।

(लेखक स्कूल शिक्षा से जुड़े हैं।)